न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—63/2013 (2013/00097) वाद पत्र

अनवान

1. गोमा पिता चतर्भुज उर्फ चतरा गुर्जर निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर मृतक के बजाय
1/1. केली बेवा गोमा गुर्जर निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/2. हरकु पुत्री गोमा गुर्जर निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/3. भैरू पिता गोमा गुर्जर निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. कस्तुर पिता रामा बैरवा निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. गणेश पिता सवाईराम बैरवा निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. सुवा पिता सवाईराम बैरवा निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. भैरू पिता दयाराम गुर्जर निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. राजु पिता दयाराम गुर्जर निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. रूपलाल पिता गोपीलाल गुर्जर निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. लादुलाल नाबाबेवि माता हासी पत्नि गोपी गुर्जर निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 179, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति

1. मनोहरलाल बापना — वादी अधिवक्ता
2. फारुख मोहम्मद — प्रतिवादी अधिवक्ता

निर्णय दिनांकः—30.11.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि वादी की साबिक आराजी नं० 175/2 मीन रकबा 8 बीघा दिनांक 16.12.1972 को गैर खातेदारी अधिकार से जमाबंदी संवत २०38 से 2041 से वादी के नाम पर दर्ज हुई, तथा बाद में वादी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए, जिसके हाल आराजी नं० 1483 रकबा 1.73 अंकित हुए प्रमाण मे जमाबंदी संवत 2038 से 2041 की प्रमाणित प्रति व मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति वादपत्र के साथ प्रस्तुत की है। वादी की उक्त आराजी संख्या 1483 रकबा 1.73 पर दिनांक 02/08/2009 को प्रतिवादीगण ने अनाधिकृत रूप से आधिपत्य कर लिया। इस पर वादी ने अपनी उक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी बाबत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111 व 128 भू—राजस्व अधिनियम दिनांक 03/09/2009 को पेश किया जो दिनांक 19/11/2009 को स्वीकार हुआ। इस आदेश की क्रियान्विती में भू अभिलेख निरीक्षक [illegible] न को साथ लेकर प्रतिवादीगण की उपस्थिति में जमीन को नापकर पत्थर लगवाये [illegible] प्रतिवादीगण ने हटा दिये और वादी की जमीन पर से अपना आधिपत्य [illegible] प्रतिवादीगण को वादी की भूमि में अनाधिकृत प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है। [illegible] मौका पर्चा दिनां[illegible]05.2013 की प्रमाणित प्रति वादपत्र के साथ प्रस्तुत [illegible] सादर प्रार्थना है कि [illegible] वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण वादी के खातेदारी अधिकार की आराजियात नम्बर 1483 रकबा 1.73 है0 ग्राम गौखमपुरा पटवार सर्कल थला तहसील रायपुर से प्रतिवादीगणो को बेदखल कराया जाकर वादी के पक्ष में कब्जेयापी की डिक्री सादिर फरमाई जावे, साथ ही बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण फसल

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.04 17:04:01 IST
Reason: SelfAttested

लाभ व हर्जे की राशि 20000/—रूपये सालाना से कब्जा मिलने तक वादी को प्रतिवादीगण से दिला पाने की डिक्री सादिर फरमाई जावे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को समन जारी किया गया। समन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 6, 7 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की ओंर से अपने जवाब में अकिंत किया कि वादी की आराजियात पर प्रतिवादीगण द्वारा अनाधिकृत कब्जा नही किया गया है। प्रतिवादी वक्त आंवटन दिनांक 06.12.1972 से ही काबिज चला आ रहा हैं। वादी आवंटन शुदा भूमि पर काबिज है नवीन भू प्रबन्ध के दौरान नक्शे में तफावत की स्थिति कायम की गई है और साबिक नक्शे अनुसार तरमीम नही किया गया है। वादी की आवंटित साबिक आराजी संख्या 175/2 रकबा 8 बीघा पर काबिज है दौराने आवंटन वादी को मूल साबिक नम्बर 175मीन मे से आवंटन हुआ आवंटन के पश्चात वादी को आवंटन नम्बर 175/2 रकबा 8 बीघा व दयाराम पिता चतरभुज गुजर को आवटित नम्बर 175/3 रकबा 8 बीघा की तरमीम नही की गई तथा सेटलमेन्ट होने पर नवीन नक्शा कायम किया गया जो साबिक नक्शे के अनुरूप तरमीम नही किया गया। नवीन नक्शे में स्थिति विपरीत दर्शा दी। वादी और प्रतिवादी लगभग 40—42 वर्षो से अपने अपने आवंटित रकबे पर काबिज है और वादी ने सालाना फसल नुकसान का अंकन गलत रूप से किया गया है। मजीद कथन के रूप में निवेदन किया कि वादी को दिनांक 15.07.1972 को साबिक आराजी संख्या 175/2 रकबा 8 बीघा भूमि आवंटित हुई जिसके नवीन नम्बर 1483 रकबा 1.73 है0 कायम हुए इसी प्रकार प्रतिवादीगण के पिता दयाराम पिता रायमल गुजर को दिनांक 06.12.1972 को साबिक आराजी संख्या 176/1 रकबा 5 बीघा साबिक आराजी संख्या 176/2 आवंटित हुई जिसके नवीन नम्बर 1486 रकबा 1.08 है0 व 1488 रकबा 1.62 है0 कायम हूए। सेटलमेन्ट के दौरान साबिक नक्शे के अनुरूप नवीन नक्शा कायम नही किया गया। मौका स्थिति के विपरीत तरमीम किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बैरून मियाद है प्रतिवादीगणो ने कोई अनाधिकृत रूप से आधिपत्य नही किया। वादी द्वारा नवीन नक्शे अनुसार पत्थरगढ़ी करवाई गई लेकिन नवीन नक्शा साबिक नक्शे अनुसार नही होने से विवाद बढ़ा है। वाद निरस्त फरमाया जावे।

वाद और प्रतिवाद के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई।

1. आया ग्राम मौखमपुरा की आराजी संख्या 1483 रकबा 1.73 है0 से प्रतिवादीगण को बेदखल करा वादी के कब्जे कराने की डिक्री वादी प्राप्त करने का अधिकारी है। जिम्मे वादी

2. आया वादीगण प्रतिवादीगण से दावा दायरी से आराजियात का कब्जा प्राप्त करने तक सालाना 20000/—रूपये फसल लाभ व घास हर्जे की राशि प्रतिवादीगण से प्राप्त करने का अधिकारी है। जिम्मे वादी

3. आया मजीद कथन की कलम संख्या 9 व 10 के आधार पर वाद वादीगण खारीज होने योग्य है। जिम्मे प्रतिवादीगण

4. आया वाद पत्र वादी अवधि बाधित होकर उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत नही किये जाने से खारीज होने योग्य है। जिम्मे प्रतिवादीगण

तनकीयात निर्णय

1. आया ग्राम मौखमपुरा की आराजी संख्या 1483 रकबा 1.73 है0 से प्रतिवादीगण को बेदखल करा वादी के कब्जे कराने की डिक्री वादी प्राप्त करने का अधिकारी है। जिम्मे वादी

इस तनकी को साबित कराने का भार वादी पर था। वादी की ओर से वाद के समर्थन में वादी के नाम साबिक आराजी संख्या 175 में 8 बीघा भूमि आवंटन होने से सम्बधित

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.04 17:04:01 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र आवंटन आदेश, पर्चा मौका, सिपूर्दगी नामा, गिपूर्दगी पर्चा पत्रावली 369 / 72, नक्शा ट्रेस, साबिक नक्शा ट्रेस, नोटि प्रकरण 81 / 13, पत्थरगढ़ी प्रार्थना पत्र, पत्थरगढ़ी आदेश 29 / 14, हाल नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी खाता संख्या 173 सवंत 2070–73, खाता संख्या 187 जमाबन्दी 2070–73, साबिक नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी खाता संख्या 66 सवंत 2066 से 2069, पत्थरगढ़ी आदेश, पर्चा मौका पत्थरगढ़ी, जामबन्दी साबिक आराजी संख्या 175 / 2 संवत 2038–41, मिलान क्षेत्रफल आदि रेकार्ड प्रेषित किया गया जो प्रर्दश 1 से 19 है। इसके साथ ही वादी स्वयं एवं भवंरलाल पिता दयाराम के बयान कराये गये जो शमिल पत्रावली है। वादी के द्वारा अपने बयान की जिरह में मुख्य रूप से कहा कि दयाराम पिता चतरभुज मेरे काका लगते है मेरे पिताजी व काका को एक साथ अलोटमेन्ट 8 बीघा भूमि हुई थी मेरी जमीन के पूर्वी राजु भैरू पिता दयाराम की जमीन है। और पश्चिम की तरफ रायपुर के मुसलमान की जमीन और उत्तर की ओर दयाराम पिता चतरभुज की व दक्षिण में भैरू राजु पिता दयाराम गुर्जर की जमीन है। मुझे जानकारी नही है कि पुराने व नये नक्शे में फर्क हो। भैरू व राजु की जो जमीन है उसके चारो ओर थोहर की बाड़ कर रखी है जो 30–40 वर्ष पुरानी हो तो मुऐ पता नही है मेरे पिता को जो जमीन अलोटमेन्ट हुई उसके नम्बर मुझे याद नही है। इसी प्रकार गोमा के द्वारा भी अपने बयान में मुख्य रूप से कहा कि वादी को 8 बीघा जमीन आवंटित हुई है जहां कब्जा सिपुर्द किया गया वही काबिज है राजु व भैरू के पिता को जमीन अलोट हुई जिसके जिनके नम्बर अलग है। गोमाजी को को जमीन अलोट हुई उस पर वर्तमान में गोमाजी व उनके वारीसो का नही है 10–12 वर्ष पूर्व मेरे पिता को मारपीट कर कब्जा कर लिया है। हमारी जमीन पर कब्जा किया है। साबिक व हाल नक्शे में कोई परिवर्तन नही है। वादी द्वारा इस तनकी को साबित कराया है वादी के नाम भूमि आंवटन हुई है और वादी की जमीन पर प्रतिवादीगणो का कब्जा होना पत्थरगढ़ी के पर्चे मौके दिनांक 28.05.2013 से प्रमाणित है। वादी तनकी संख्या 1 को साबित कराने में सफल रहा है जिससे उक्त तनकी का निर्णय बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण किया जाता है।

2. आया वादीगण प्रतिवादीगण से दावा दायरी से आराजियात का कब्जा प्राप्त करने तक सालाना 20000 / –रूपये फसल लाभ व घास हर्जे की राशि प्रतिवादीगण से प्राप्त करने का अधिकारी है।

जिम्मे वादी

इस तनकी को साबित कराने का भार वादी पर था वादी की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज वाद में पेश नही किया गया जिससे विवादित आराजियात से सालाना 20000 रूपये का लाभ वादी द्वारा लिया गया हो या प्रतिवादी ले रहा हो। इस तनकी को साबित कराने में वादी असफल रहने से इस तनकी का निर्णय विरूद्व वादी किया जाता है।

3. आया मजीद कथन की कलम संख्या 9 व 10 के आधार पर वाद वादीगण खारीज होने योग्य है।

जिम्मे प्रतिवादीगण

इस तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी द्वारा मजीद कथन की कॉलम 9 में अकिंत किया कि वादी को साबिक आराजी संख्या 175 में 8 बीघा भूमि आवंटित हुई जिसके नवीन नम्बर 14[illegible] व 2 के पिता दयाराम को भी साबिक आराजी संख्या 176 में भूमि आवटित हुई [illegible]न नम्बर 1486 व 1488 है। वादी के साथ मूल साबिक नम्बर 175 में 7 बी[illegible] पिता चतरभुज गुर्जर को आवटित हुई साबिक आराजी संख्या 175 का [illegible] अलग अलग आवंटन किया गया लेकिन बटा नम्बर की तरमीम [illegible]न्ट के दौरान नवीन नक्शे में गलत तरमीम किया गया है और मौके की स्थिति साबित नक्शे के अनुरूप नही है। वादी की साबिक आराजी संख्या 175 प्रतिवादी की साबिक आराजी संख्या 176 के पश्चिम की ओर फीट थी। प्रतिवादी की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज व साक्ष्य प्रस्तुत नही की जिससे ये साबित होता हो कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.04 17:04:01 IST
Reason: SelfAttested

वादी को साबिक आराजी संख्या 175 में आवटित भूमि को गलत फीट किया गया हो जबकि इसके विरूद्व वादी की ओर से जो साबिक एवं नवीन राजस्व नक्शा जो कमशः प्रदर्श 5 एवं 11 है उसमें दक्षिण की ओर सरहद पर साबिक आराजी संख्या 175 एवं 176 की मध्य की सीमा पर मिनारा स्थित है मिनारे से पश्चिम की ओर वादी के साबिक आराजी संख्या 175 है एवं मिनारे से पूर्व की तरफ प्रतिवादी की साबिक आराजी संख्या 176 है और नवीन भू प्रबन्ध के दौरान भी साबिक आराजियात के नवीन नम्बर जो कायम किये गये है उनके भी दक्षिणी सीमा पर स्थित आराजी संख्या 1479, 1482, 1483 को पश्चिम की ओर फीट किया गया है और प्रतिवादी की आराजियात को मिनारे के सीद की पूर्व ओर फीट किया गया है जिसमें भु प्रबन्ध विभाग के कोई त्रुटी होना प्रतीत नही होता है। ऐसी स्थिति में इस तनकी का निर्णय विरूद्व प्रतिवादी बहक वादी किया जाता है।

4. आया वाद पत्र वादी अवधि बाधित होकर उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत नही किये जाने से खारीज होने योग्य है।

जिम्मे प्रतिवादीगण

इस तनकी का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादी की ओर वाद अवधि बाधित होने सम्बन्धी ऐसी कोई खास दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई जबकि वादी की ओर से पत्थरगढ़ी मौका पर्चा दिनांक 28.05.2013 को बनाया गया ओर उसके बाद वादी की ओर से निर्धारित समयावधि में ही दिनांक 20.06.2013 को वाद प्रस्तुत किया गया जो वाद अवधि वाधित नही है इन तनकी को साबित कराने में प्रतिवादीगण असफल रहे है जिससे इस तनकी का निर्णय विरूद्व प्रतिवादीगण बहक वादी किया जाता है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं साक्ष्य का अवलोकन करने से पाया कि वादी अपने वाद को साबित करने में सफल रहा है। प्रतिवादी के नाम जो दर्ज आरायिजात है वो राजस्व नक्शे में तरमीम है। प्रतिवादी को अगर अपनी आराजियात की मौका स्थिति की जानकारी में किसी प्रकार का कोई सदेंह है तो प्रतिवादी अपनी आरायिजात की पत्थरगढ़ी कराने में सक्षम है कभी भी पत्थरगढ़ी करा अपनी आरायिजात की जानकारी कर सकता है। वादी की आराजियात की पत्थरगढ़ी के दौरान दिनांक 28.05.2013 को तैयार किये गये पर्चे मौके के अनुसार वादी की आराजियात पर प्रतिवादी का कब्जा होना पाया गया है जबकि आराजियात वादी को आवटित होकर खातेदारी भूमि है ऐसी स्थिति में प्रतिवादी को बेदखल कर वादी को कब्जा दिलाया जाने बाबत् प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 179, 183, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् स्वीकार कर बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के इस आशय का आदेश जारी किया जाता है कि ग्राम सगरेव तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में स्थित वादी की खातेदारी आराजी संख्या 1483 रकबा 1.73 है0 भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 से 7 को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जावे एवं प्रतिवादीगण वादी के कब्जे में दखल नही करे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। डिग्री अनुसार [illegible] जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2021 को [illegible] लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.04 17:04:01 IST
Reason: SelfAttested

30.11.2021

सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–63/2013 (2013/00097) वाद पत्र

अनवान

1. गोमा पिता चतर्भुज उर्फ चतरा गुर्जर निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर मृतक के बजाय
1/1. केली बेवा गोमा गुर्जर निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/2. हरकु पुत्री गोमा गुर्जर निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/3. भैरू पिता गोमा गुर्जर निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. कस्तुर पिता रामा बैरवा निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. गणेश पिता सवाईराम बैरवा निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. सुवा पिता सवाईराम बैरवा निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. भैरू पिता दयाराम गुर्जर निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. राजु पिता दयाराम गुर्जर निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. रूपलाल पिता गोपीलाल गुर्जर निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. लादुलाल नाबाबेवि माता हासी पत्नि गोपी गुर्जर निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 183, 179, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 179, 183, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् स्वीकार कर बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के इस आशय का आदेश जारी किया जाता है कि ग्राम सगरेव तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में स्थित वादी की खातेदारी आराजी संख्या 1483 रकबा 1.73 है0 भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 से 7 को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जावे एवं प्रतिवादीगण वादी के कब्जे में दखल नही करे।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30.11.2021
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.04 17:04:01 IST
Reason: SelfAttested